e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:– 17– तक0को0–312/2018-Part-II ....2909........

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/
सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0 चम्पारण/जमुई/
मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा।

पटना, दिनांक :–04-10-2021

विषय :– आपके जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के आलोक में अंचल एवं जिला स्तरीय कार्यों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके जिले में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य प्रारंभ है। इस कार्य अंतर्गत अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र (नए सर्वे खतियान एवं मानचित्र) का निर्माण होना है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सजगता अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में सरकारी भूमि से संबंधित खेसरों का अधिकार–अभिलेख में रैयती खाता अन्तर्गत निर्माण होने की प्रबल संभावना है। अधिकार–अभिलेख में सरकारी भूमि रैयती खाता के रूप में इंद्राज हो जाने के बाद संशोधन की प्रक्रिया सिविल अधिकारिता क्षेत्र में है एवं सिविल न्यायालय की प्रक्रिया में त्रुटियों का निराकरण किया जाना अत्यंत कठिन है। ऐसी स्थिति में विशेष सर्वेक्षण शिविर को सहायता उपलब्ध कराए जाने के साथ–साथ निम्नाकिंत तथ्यों पर ध्यान देना अपेक्षित एवं आवश्यक हैः–

1. अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में लंबित वादों का यथाशीघ्र निष्पादन।
2. अंचल अधिकारी द्वारा अवैध रूप से कायम सरकारी भूमि की जमाबंदी का जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव अभिलेखबद्ध कर अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में दायर किया जाय।
3. अंचल स्तर से निम्नाकिंत पंजी/कागजातों/अभिलेखों की सत्यापित प्रति को पत्र के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण शिविर को उपलब्ध कराया जाना।
   - (i) जमाबंदी पंजी–।। के कम्प्यूटराईज प्रति की सत्यापन मुद्रित प्रति।
   - (ii) अनाबाद सर्वसाधारण या गैरमजरूआ आम एवं अनाबाद बिहार सरकार या गैरमजरूआ मालिक भूमि की सूची।
   - (iii) कैसरे हिन्द भूमि की सूची।
   - (iv) भू–दान की सूची।
   - (v) सैरात भूमि की सूची।
   - (vi) सभी प्रकार के बन्दोबस्त भूमियों की विवरणी।
   - (vii) अंचल कार्यालय–सह–प्रखण्ड कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित) के भूमि की विवरणी।

4. विशेष सर्वेक्षण प्रक्रम में सरकारी भूमि पर अंचल अधिकारी द्वारा प्रपत्र–8 एवं 14 में दावा/आपत्ति दायर किया जाना अति आवश्यक है। सुनवाई के प्रक्रम में प्रत्येक तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखने हेतु अंचल अधिकारी को निदेशित किया जाय।

साथ ही विशेष सर्वेक्षण कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–8 एवं प्रपत्र–14 में प्राप्त आपत्तियों के निपटारा करने के क्रम में अंचल अधिकारी को पक्षकार बनाया जाता है और उनके सरकारी मोबाईल पर उक्त तिथि को उपस्थित होने के लिए प्रपत्र–11 एवं प्रपत्र–17 में SMS के माध्यम से सूचना विशेष सर्वेक्षण शिविर से दी जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार के हित में अपना पक्ष रखना अति आवश्यक है।

इस संबंध में यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अंचल अधिकारी द्वारा बिना किसी सूचना के किसी भी सरकारी अथवा सार्वजनिक उपयोग की किसी भी भूमि के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रपत्र–8 एवं प्रपत्र–14 में आपत्ति दायर की जाए।

5. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता स्तर से विशेष सर्वेक्षण शिविर प्रभारी एवं अंचल अधिकारी के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए और यथासंभव संयुक्त पाक्षिक बैठक भी आयोजित की जाए।

6. अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा समय–समय पर विशेष सर्वेक्षण शिविरों का निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जाए।

7. विभिन्न अंचलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय, कर्मी एवं विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में ग्राम सीमा एवं अन्य स्थानों पर लगाए गए पिलरों की सुरक्षा के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को आवश्यक निदेश दिया जाए।

विश्वासभाजन

4/10/21

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–17– तक0को0–312/2018-Part-II........2909..........**पटना, दिनांक**–04-10-2021

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता/बन्दोबस्त पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/ शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–17– तक0को0–312/2018-Part-II........2909..........**पटना, दिनांक**–04-10-2021

प्रतिलिपिः– सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/ नालंदा/ शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–17– तक0को0–312 / 2018-Part-II........2909........**पटना, दिनांक**–04-10-2021

प्रतिलिपिः– एल0आई0एस0 सलाहकार / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–17– तक0को0–312 / 2018-Part-II........2909........**पटना, दिनांक**–04-10-2021

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–17– तक0को0–312 / 2018-Part-II........2909........**पटना, दिनांक**–04-10-2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
4/10/21

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Director\file no_312_2018_part-II._ dated-01.10.2021.doc